पूर्वी गंगा नहर निर्माण मण्डल, बिजनौर
जनसूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्र.सं.	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	2	3
1.	अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य	इस मण्डल के अधीनस्थ कार्यरत खण्डों में पूर्वी गंगा संगठन की नहरों का नव–निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य हैं। निर्मित नहरों से कृषकों को खरीफ फसल में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। खरीफ फसली 1415 में 20027 हैक्टेयर सींच रु. 43 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।
2.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	अधिकारी / कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं और राज्य सरकार के अधीन ही राजकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।	शासकीय नियमों के अन्तर्गत है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	अधीक्षण अभियन्ता का पद सृजित है, जिनके नियंत्रण में रहकर सभी अधिकारी / कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
5.	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	इस कार्यालय में अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा शासनादेश एवं नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं।
6.	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7.	किसी व्यवस्था का विवरण, जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अनुमोदन के लिए विद्यमान हैं।	जनपद स्तर पर सिंचाई बन्धु, तहसील स्तर पर तहसील दिवस व ब्लाक स्तर पर ब्लाक दिवस कार्यक्रम आदि की बैठकें आयोजित होती हैं।
8.	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के बैठक लोगों के लिए खुली हैं, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं।	सम्बन्धित नहीं है।

9.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	इस कार्यालय के कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हैं।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का माह 6/2008 का वेतन का विवरण संलग्न है। (संलग्नक–1)
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	इस मण्डल के अधीनस्थ खण्डों को केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार से धन उपलब्ध कराया जाता है। जिसका नियमानुसार नहरों के निर्माण पर व्यय किया जाता है। वर्ष 2008–09 में जून 2008 तक आवंटन एवं व्यय का विवरण संलग्न है।
12.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।	इस मण्डल के खण्डों द्वारा किसी भी सहायिकी कार्यक्रम का निष्पादन नहीं कराया जाता है, केवल नहरों का निर्माण कराया जाता है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ	मण्डल के अधीन खण्डों में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ताओं द्वारा अनुबन्ध पंजीकृत ठेकेदारों के साथ किये जाते हैं।
14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों	इस कार्यालय द्वारा समस्त सूचनाऐं उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती हैं तथा आवश्यकतानुसार प्रिंट मीडिया से प्रचार–प्रसार कराया जाता है।
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयाँ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
16.	जनसूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	इस मण्डल के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी श्री संदीप कुमार, अधीक्षण अभियन्ता एवं सहायक जनसूचना अधिकारी श्री गौरी शंकर गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता (सं.) हैं।

अधीक्षण अभियन्ता
पूर्वी गंगा नहर निर्माण मण्डल,
बिजनौर